सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 2013/193 दायर दिनांक 14.08.2013

वादीनी		प्रतिवादीगण
1. मनोहरी पुत्र स्व0 रेखाराम पत्नी रामदयाल, जाति–जाट, निवासी–गोदरास, हाल,निवासी–अनेसरिया, तहसील–लाडनूँ, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तुलछादेवी पत्नी स्व0 जगदेवसिंह (वर्तमान पति बालूराम), 2. आरती पुत्री स्व0 जगदेवसिंह नाबालिग (वर्तमान पिता बालूराम), 3. पूजा पुत्री स्व0 जगदेवसिंह नाबालिग (वर्तमान पिता बालूराम), समस्त,जाति–जाट, निवासी–सेवा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 4. सम्पत पत्नी गोविन्दराम, 5. रमेश पुत्र गोविन्दराम नाबालिग, 6. मनोज पुत्र गोविन्दराम नाबालिग, 7. कविता पुत्र गोविन्दराम नाबालिग, 8. चाँद पुत्री गोविन्दराम गाबालिग, जरिये कुदरती वलिया माता सम्पत, समस्त,जाति–जाट, निवासी–गोदरास, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 9. मीरा पत्नी रेखाराम, जाति–जाट, निवासी–गोदरास, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 10. मीरादेवी पत्नी मंगाराम, जाति–जाट, निवासी–जानकीपुरा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 11. रामुराम पुत्र नारायणराम, 12. सुण्डाराम पुत्र नारायणराम, 13. गोहनराम पुत्र नारायणराम, 14. दानाराम पुत्र नारायणराम, 15. हणमान पुत्र नारायणराम,

सहायक कलक्टर
डीडवाना

(लगातार)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 2013/193
दायर दिनांक 14.08.2013, निर्णय दिनांक 20.06.2017
मनोहरी बनाम् तुलछादेवी, वगैरा।

		जाति–जाट, निवासी–गोदरास, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 16. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा, रेकर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा–88, 53, 188 R.T. Act.

उपस्थित–

1. पक्षकारान् उपस्थित।

–:: निर्णय ::–

दिनांक 20.06.2017

वाद के तथ्य इस प्रकार है कि, सरहद मौजा गोदरास में वादीनी के स्व0 पिता रेखाराम की खातेदारी व कब्जाकाश्त की जमीन खेत खसरा नम्बर 46 रकबा 04 बीघा, खेत खसरा नम्बर 53 रकबा 13.02 बीघा, खेत खसरा नम्बर 59 रकबा 16.03 बीघा, खेत खसरा नम्बर 193 रकबा 34 बीघा, खेत खसरा नम्बर 235 रकबा 31.06 बीघा, खेत खसरा नम्बर 257 रकबा 10.15 बीघा, खेत खसरा नम्बर 75 रकबा 26.07 बीघा व खेत खसरा नम्बर 82 रकबा 0.05 बीघा, कुल रकबा 135.18 बीघा है। नकल खतौनी सम्वत् 2067–2070 की पेश है।

वादीनी का पिता रेखाराम आज से 13 साल पहले फौत हो गया था। स्व0 रेखाराम के मरने के बाद उसके उक्त जायन्दा दो लड़के एक लड़की (वादीनी) तथा उसकी धर्म पत्नी मीरादेवी का उसकी खातेदारी की जमीन में बराबर–बराबर हक हिस्सा है और खेत खसरा नम्बर 46, 53, 59, 193, 235 व 257 प्रत्येक खसरा में 1/6 की खातेदारी में वादीनी का 1/24 हिस्सा है। इसी प्रकार खेत खसरा नम्बर 75 व 82 प्रत्येक खसरा में 1/2 की खातेदारी में वादीनी का 1/8 हिस्सा व अधिकार है परन्तु स्थानीय राजस्व अधिकारियों व सरपंच खुनखुना ने बिना जाँच किये राजस्व रिकॉर्ड में रेखाराम के दो लड़के व उसकी पत्नी मीरादेवी का ही म्यूटैशन भरा गया है, जो गलत भरा गया है। स्व0 रेखाराम की जायन्दा पुत्री वादीनी मनोहरीदेवी भी है।

स्व0 रेखाराम का पुत्र जगदेवसिंह फरवरी 2009 में फौत हो गया था तथा गोविन्दराम अप्रेल 2012 में फौत हो गया था। स्व0 जगदेवसिंह के मरने के पश्चात् उसकी पत्नी ने बालुराम जाट ग्राम सेवा से अपना नाता पुत्रियों सहित कर लिया था तथा अपनी पुत्रियां प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 03 को भी अपने साथ लेकर चली गयी और सेवा ग्राम में ही निवास करती है। उक्त प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा नाता किया गया तब उक्त तुलछादेवी पत्नी के रूप में तथा आरती व पुजा पुत्री के रूप में नाता किया गया है। इसलिए स्व0 जगदेवसिंह के हिस्से की जमीन में प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 का कोई हक व हिस्सा शेष नहीं

सहायक कलक्टर
डीडवाना

(लगातार)

Scanned by CamScanner

रहा। इसलिए स्व0 जगदेवसिंह की जमीन वादीनी व प्रतिवादीगण संख्या 04 ता 09 में समाहित हो गयी। स्व0 रेखाराम के विवादग्रस्त खेतों में से प्रत्येक खसरा में 1/6 की खातेदारी में वादीनी का 1/18 हिस्सा तथा 1/18 हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 04 ता 08 का है तथा 1/18 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 09 का है। इसी प्रकार खसरा नम्बरान् 75 व 82 में प्रत्येक खसरा में 1/2 की खातेदारी में वादीनी का 1/6 हिस्सा व अधिकार है तथा 1/6 हिस्सा प्रतिवादीगण 04 ता 08 का है तथा 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 09 का है। उक्त प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 के नाम से खातेदारी में नाम गलत दर्ज होने के कारण प्रतिवादी संख्या 01 तुलछादेवी अपना व अपनी पुत्रियां पुजा व आरती का हिस्सा बैचाण करना चाहती है, जो गलत है। तुलछादेवी द्वारा नाता के करने के बाद कानून की मंशा के अनुसार तुलछादेवी व आरती एवं पुजा का हक व अधिकार कानून की मंशा के अनुसार स्व0 रेखाराम के पुत्र स्व0 जगदेवसिंह के हिस्से में नहीं रहा है।

वादीनी के कानूनी हक व अधिकार उक्त जमीन में होते हुए भी उन्हें खातेदारी नहीं दी गयी और न ही उनके नाम म्यूटैशन भरा गया है। गलत खातेदारी की ओट में सिरोली व पैतृक जमीन को प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 09 बैचने पर उतारू है और वादीनी के खातेदारी अधिकारों को चुनौति दे रहे हैं। ऐसे में वादीनी खातेदारी अधिकार खतरे में पड़ गये है। वादीनी अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने की अधिकरीणी है। इसलिए घोषणा खातेदारी का दावा पेश है।

उक्त वादग्रस्त खसरान् की जमीन सिरोली है व बाईमीट्स मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के बन्टी हुई नहीं है। इसलिए वादीनी को बन्टवारा का दावा पेश करना लाजमी आया है।

मामला अचल सम्पत्ति का है। जमीन के भाव दिनोंदिन बढ रहे हैं और वादीनी के भाई स्व0 जगदेवसिंह के वारिसानों के मन में लालच आ गया है और गलत खातेदारी की ओट में जमीन बैचने पर उतारू है। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 का स्व0 जगदेवसिंह के हिस्से की जमीन में कोई हक अधिकार नहीं है क्योंकि प्रतिवादी संख्या 01 ने बालुराम जाट निवासी सेवा से नाता कर प्रतिवादीगण संख्या 02 व 03 को भी अपने साथ लेकर ग्राम सेवा में ही निवास कर रही है। अगर प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 अपने मकसद में सफल हो गये और जमीन बैच दी तो वादीनी को अजहद नुकशान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति नकदी से सम्भव नहीं होगी। इसलिए स्थाई निषेधाज्ञा का दावा करना लाजमी हुआ।

प्रतिवादीगण संख्या 10 ता 15 का नाम सामलाती खातेदारी में दर्ज होने से उन्हें पक्षकार बनाया गया है, उनके विरूद्ध किसी प्रकार की कोई रिलिफ नहीं चाही है।

बिनाय दावा वादीनी के पिता स्वर्गवास होने पर म्यूटैशन वादीनी के नाम नहीं भरा जाने से, स्व0 जगदेवसिंह के फौत होने के बाद उसकी पत्नी का नाते चले जाने के बाद भी म्यूटैशन के द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 का नाम खातेदारी में दर्ज से खेत बैचाण करने पर आमादा–फिसाद होने से, वादीनी के खातेदारी अधिकारों को चुनौति देने से

सहायक कलक्टर
डीडवाना

(लगातार)

Scanned by CamScanner

तथा प्रतिवादीगण संख्या 04 ता 09 द्वारा बन्टवारा करने से इन्कार करने पर अन्दर हदुद अदालत वाला पैदा हुआ।

प्रार्थना वादीनी है कि,

सरहद मौजा गोदरास में स्थित खेत खसरा नम्बर 46, 53, 59, 193, 235 व 257 प्रत्येक खसरा में से 1/6 भाग की खातेदारी में वादीनी का 1/18 हिस्सा व खसरा नम्बर 75 व 82 प्रत्येक खसरा में 1/2 भाग की खातेदारी में वादीनी का 1/6 हिस्सा व अधिकार की खातेदारी घोषित कर राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त किया जावे। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 का नाम खातेदारी से हटाया जावे।

उक्त जमीन का बन्टवारा बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स से करवाया जाकर प्रत्येक का हक व हिस्सा की जमीन राजस्व रिकॉर्ड में अलग–अलग खातेदारी के दर्ज किया जावे।

स्थाई निषेधाज्ञा वादीनी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के खिलाफ जारी की जावे।

वादीनी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 16 को वास्ते जवाबदेही हाजर अदालत जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादी संख्या 01 ता 10 व 16 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

प्रतिवादीगण संख्या 11 ता 15 की ओर से जवाब पेश हुआ। प्रकरण में निम्नानुसार विवाद्यक तय किये गयेः–

1. आया सरहद मौजा गोदरास तहसील डीडवाना के आराजी खसरा नम्बर 46, 53, 59, 193, 235 व 257 प्रत्येक खसरा में 1/18 हिस्सा तथा खसरा नम्बर 75 व 82 प्रत्येक खसरा में 1/6 हिस्से की खातेदारी प्राप्त करने की वादीनी हकदार हैं,

   –वादीनी

2. आया आराजी उपर्युक्त का बन्टवारा बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से करवाने की वादीनी अधिकारी है,

   –वादीनी

3. आया वादीनी स्थाई निषेधाज्ञा का बरखिलाफ प्रतिवादीगण प्राप्त रकने की अधिकारी है,

   –वादीनी

4. आया प्रतिवादीनी तुलछा ने बालूराम जाट निवासी सेवा से नाता कर लिया है, इसलिए मुतनाजा आराजियात् में उसका कोई हक अधिकार है,

   –वादीनी

5. आया वादीनी को वाद हैतुक पैदा नहीं हुआ है?

   –प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 तक

6. अनुतोष।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

(लगातार)

Scanned by CamScanner

वादीनी मनोहरी देवी की तरफ शपथ–पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 04 सी.पी.सी. का न्यायालय में पेश हुआ।

वाद के समर्थन में वादीनी का शपथ–पत्र, जमाबन्दी (खतौनी) खेवट संख्या 196 सम्वत् 2067–2070 की प्रमाणित प्रतिलिप, जमाबन्दी (खतौनी) खेवट संख्या 53 सम्वत् 2067–2070 की प्रमाणित प्रतिलिपि व जमाबन्दी (प्रतिलिपि) सम्वत् 2055–2058 वाद के साथ पेश हुई।

राजस्व लोक अदालतः न्याय आपके द्वार में पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान् उपस्थित। वादीनी दावा अनुसार, दावा डिक्री किया जाने का निवेदन कर रही है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। पक्षकारान्, पैतृक हक अनुसार दावा डिक्री किया जाने का निवेदन कर रहे है। प्रकरण के सम्बन्ध में मजमेआम में विस्तृत जानकारी प्राप्त की गयी। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। मजमेआम में प्राप्त की गयी जानकारी पर गम्भीरता से विचार किया।

सरहद मौजा गोदरास में स्थित खेत खसरा नम्बर 46 रकवा 04 बीघा, खसरा नम्बर 53 रकबा 13.02 बीघा, खसरा नम्बर 59 रकबा 16. 03 बीघा, खसरा नम्बर 193 रकबा 34 बीघा, खसरा नम्बर 235 रकबा 31. 06 बीघा, खसरा नम्बर 257 रकबा 10.15 बीघा प्रत्येक खसरा में से हिस्सा 1/6 भाग के स्व0 रेखाराम के वारिसान् हिस्सेदार हैं।

सरहद मौजा गोदरास में खसरा नम्बर 75 रकबा 26.07 बीघा व खसरा नम्बर 82 रकबा 0.05 बीघा में से हिस्सा 1/2 भाग के भी स्व0 रेखाराम के वारिसान् हिस्सेदार हैं।

स्व0 रेखाराम वारिसान्– पुत्र स्व0 जगदेवसिंह, स्व0 स्व0 गोविन्दराम, पत्नी मीरादेवी व पुत्री मनोहरी हैं।

स्व0 जगदेवसिंह की पत्नी प्रतिवादी संख्या 01 तुलछादेवी ने अपने पति का घर छोड़कर अन्य व्यक्ति के साथ नाता कर लिया है। तुलछादेवी अपने नवीन पति के साथ ही रहती है इसलिए तुलछादेवी का अपने प्रथम विवाहित पति की सम्पत्ति में कोई हिस्सा नहीं बचा है। स्व0 जगदेवसिंह से तुलछादेवी के दो पुत्रियाँ आरती व पुजा हैं। इसलिए स्व0 जगदेवसिंह के हिस्से की भूमि की खातेदारी स्व0 जगदेवसिंह की पुत्रियों के नाम से घोषित किया जाना हमारे मत में न्यायसंगत है।

स्व0 गोविन्दराम के वारिसान्– पत्नी सम्पत, पुत्रगण रमेश व मनोज, पुत्रियाँ कविता व चाँद हैं जो कि इस वाद में प्रतिवादीगण संख्या 04 ता 08 हैं। इसलिए स्व0 गोविन्दराम के हिस्से की भूमि की खातेदारी स्व0 गोविन्दराम के वारिसान् को दी जाना उचित प्रतीत होता है।

मीरादेवी, स्व0 रेखाराम की विवाहित पत्नी होने से स्व0 रेखाराम के हिस्से की 1/4 भाग की खातेदारी स्व0 रेखाराम की पत्नी मीरादेवी के नाम से खातेदारी की घोषित की जाना उचित प्रतीत होता है।

मनोहरी स्व0 रेखाराम की पुत्री है इसलिए बतौर स्व0 रेखाराम की सन्तान मनोहरी को भी स्व0 रेखाराम के हिस्से में से हिस्सा 1/4 भाग में खातेदारी दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः बाद विवचेन, वाद वादीनी डिक्री सादिर किया जाता है।

सहायक कलक्टर
[illegible]

(लगातार)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 2013/193
दायर दिनांक 14.08.2013, निर्णय दिनांक 20.06.2017
मनोहरी बनाम् तुलछादेवी, वगैरा।

आदेश

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर सरहद मौजा गोदरास में स्थित खेत खसरा नम्बर 46 रकबा 04 बीघा, खसरा नम्बर 53 रकबा 13.02 बीघा, खसरा नम्बर 59 रकबा 16.03 बीघा, खसरा नम्बर 193 रकबा 34 बीघा, खसरा नम्बर 235 रकबा 31.06 बीघा, खसरा नम्बर 257 रकबा 10.15 बीघा प्रत्येक खसरा में से हिस्सा 1/6 में से पक्षकारान् के मध्य बन्टवारा बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से कर प्रत्येक खसरा में से हिस्सा 1/4 भाग का वादीनी मनोहरी को, हिस्सा 1/4 भाग का प्रतिवादीगण संख्या 02 व 03 को, हिस्सा 1/4 भाग का प्रतिवादीगण संख्या 04 ता 08 को तथा हिस्सा 1/4 भाग का प्रतिवादी संख्या 09 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

सरहद मौजा गोदरास में खसरा नम्बर 75 रकबा 26.07 बीघा व खसरा नम्बर 82 रकबा 0.05 बीघा में से हिस्सा 1/2 भाग में से पक्षकारान् के मध्य बन्टवारा बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से कर उक्त खसरा में से हिस्सा 1/4 भाग का वादीनी मनोहरी को, हिस्सा 1/4 भाग का प्रतिवादीगण संख्या 02 व 03 को, हिस्सा 1/4 भाग का प्रतिवादीगण संख्या 04 ता 08 को तथा हिस्सा 1/4 भाग का प्रतिवादी संख्या 09 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

शेष खसरा की खातेदारी यथावत् रहेगी। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–गोदरास

सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक **20.06.2017** को कोर्ट कैम्प–गोदरास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–गोदरास

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **2013/193** | दायर दिनांक **14.08.2013**

वादीनी		प्रतिवादीगण
1. मनोहरी पुत्र स्व0 रेखाराम पत्नी रामदयाल, जाति—जाट, निवासी—गोदरास, हाल,निवासी—अनेसरिया, तहसील—लाडनूँ, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तुलछादेवी पत्नी स्व0 जगदेवसिंह (वर्तमान पति बालूराम), जाति—जाट, निवासी—सेवा, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, वगैरा।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा, रेकर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा—88, 53, 188 R.T. Act.

दिनांक **20.06.2017**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई पक्षकारान् ओर मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्ब दावा डिक्री सादिर कर सरहद मौजा गोदरास में स्थित खेत खसरा नम्बर 46 रकबा 04 बीघा, खसरा नम्बर 53 रकबा 13.02 बीघा, खसरा नम्बर 59 रकबा 16.03 बीघा, खसरा नम्बर 193 रकबा 34 बीघा, खसरा नम्बर 235 रकबा 31.06 बीघा, खसरा नम्बर 257 रकबा 10.15 बीघा प्रत्येक खसरा में से हिस्सा 1/6 में से पक्षकारान् के मध्य बन्टवारा बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से कर प्रत्येक खसरा में से हिस्सा 1/4 भाग का वादीनी मनोहरी को, हिस्सा 1/4 भाग का प्रतिवादीगण संख्या 02 व 03 को, हिस्सा 1/4 भाग का प्रतिवादीगण संख्या 04 ता 08 को तथा हिस्सा 1/4 भाग का प्रतिवादी संख्या 09 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

सरहद मौजा गोदरास में खसरा नम्बर 75 रकबा 26.07 बीघा व खसरा नम्बर 82 रकबा 0.05 बीघा में से हिस्सा 1/2 भाग में से पक्षकारान् के मध्य बन्टवारा बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से कर उक्त खसरा में से हिस्सा 1/4 भाग का वादीनी मनोहरी को, हिस्सा 1/4 भाग का प्रतिवादीगण संख्या 02 व 03 को, हिस्सा 1/4 भाग का प्रतिवादीगण संख्या 04 ता 08 को तथा हिस्सा 1/4 भाग का प्रतिवादी संख्या 09 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

शेष खसरा की खातेदारी यथावत् रहेगी। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो।

नीज..........—.......... मुबलिंग............—............... बाबत....................—....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........—......... आज की तारीख को अदा करें।बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **20.06.2017** को जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प—गोदरास

सहायक कलक्टर
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 — —		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प—गोदरास

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner